

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम

अराई (अजमेर)

1 श्री रामलाल पुत्र सूरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 व अन्य

प्रार्थी

बनाम

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अराई जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा - 136,131 राजस्थान भू0 राजस्व

नंबर 392 / 2020

ऑनलाइन नंबर 2020 /

वकील प्रार्थीगण देवकरण गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.09.2020	यह प्रा.पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री देवकरण गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्राथीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 25.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
25.09.2020	पत्रावली कोर्ट कैम्प अराई में पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वस्ते प्रतिवादी सं. 1 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 09/10/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
09.10.2020	पत्रावली कोर्ट कैम्प अराई में पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 के तामील शुद्ध नोटिस प्राप्त जो तामील शामिल। पत्रावली दिनांक 16/10/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
16.10.2020	पत्रावली कोर्ट कैम्प अराई में पेश हुई। वकील वादी अनु. वास्ते जताब सकोट पत्रावली दिनांक 06/11/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

12/10/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./अनुपस्थित/वकील प्रतिवादी उप./अनुपस्थित/तलबी/जवाब/साक्ष्य/बहस उप./व.स. हेतु समय चाहा/वास्ते... पत्रावली दिनांक 22/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-20...

C/No. 397/2020 अवाने शासक/सरकार

06/12/2024

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के अधीश कुमांठ प.12(2)राज/2020 दिनांक 24.09.2024 की पालना में नियत तिमी से पूर्व तलब की जाऊँ आज दिनांक 06.12.2024 को केम्प कालनाड में पेश हुई। पत्रावली उप./वकील उप./अनुपस्थित/पटवाट हल्का मोतीपुरा रिपोर्टे शामिल मिसल/पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाडी का उक्त वाड 397/2020 ग्राम मोतीपुरा खित श्मि खसरा न.16 कित्त गै.मु.श्मारात की कित्त परिवर्तन कराने से सम्बन्धित है। पटवारी हल्का व सेलग्न दस्तावेजानुसार ग्राम मोतीपुरा सिव श्मि खसरा न.16 खण्ड 0.6068 हेक्टेयर वर्तमान में राजस्थान सरकार की खतौगरी में है और खसरा न.16 कित्त गै.मु.श्मारात दर्ज है जो कि प्रतिबन्धित क्षेत्री है। सादरी वाडी उपरोक्त श्मि का खातेवाट मरी है। खातेवाट ना होने के कारण के.श. अ.बि. की धारा 131, 136 के तामालक में वाड हैतुल स्पष्ट नहीं कर सका है। अर. वाडी का वाड कारणाभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली जोतल मुफ्त लेन मयत है।

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)